संख्या-/127520/89051

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2   देहरादून: दिनांक 01 सितम्बर 2026

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत लोडिंग 'बी' सेतुओं को लोडिंग 'ए' गेज में परिवर्तन किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति। (प्रथम चरण)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण आगणन/eDPR, जिसमें 09 नग सेतुओं एवं जिनकी लागत, ₹ 75.14 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 58.80 लाख (रूपये अठावन लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 09 कार्यों हेतु ₹90,000/- (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	शासन से अनु. लागत	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में भिकियासैंण देघाट - बुंगीधार - मैहलचौरी -बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -33) कि0मी0 96 में पूर्व में निर्मित क्लास (बी) लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास (ए) लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)"eDPR No.6742	25.00	5.42	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में भिकियासैंण देघाट - बुंगीधार - मैहलचौरी - बच्छुवाबाण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -33) कि0मी0 108 में पूर्व में निर्मित क्लास (बी) लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास (ए) लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार) eDPR No.6680	22.00	4.77	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखंड दशोली में बिरही - गौणा मोटर मार्ग (एस० एच० - 89) के कि० मी० - 05 (क्रा० सं० -	Utility shifting	9.10	0.10

Scanned with OKEN Scanner

	04/25 - 26) में क्लास बी लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास ए लोडिंग सेतु के निर्माण के कार्य हेतु utility shifting का कार्य eDPR No.4707			
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली -देवाल - मुन्दोली वाण एम0एच0 90 के कि0मी0 42 में 30 मी0 स्पान से स्थान पर 32.00 मी0 स्पान पूर्व निर्मित क्लास बी लोडिंग सेतुओं को क्लास ए में उच्चीकृत किये जाने का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)। eDPR No.4536	32.00	6.05	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत थराली - देवाल - मुन्दोली - वाण एम0एच0 90 के कि0मी0 15 में 12.00 मी0 स्पान के स्थान पर 15.00 मी0 स्पान पूर्व निर्मित क्लास बी लोडिंग सेतुओं को क्लास ए लोडिंग में उच्चीकृत किये जाने का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)। eDPR No.5878	15.00	3.25	0.10
6	चमोली जिला में गैरसैंण से देवलकोट मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 में 36 मीटर स्पान डेढ़ लेन मोटर पुल का निर्माण और इसकी पहुँच मार्ग का कार्य (यूटिलिटी शिफ्टिंग) eDPR No. 5637	Utility shifting	4.09	0.10
7	राज्य योजना के अंतर्गत पोखरी-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी026 मै स्थित क्लास बी लोडिंग सेतु को क्लास ए मै उच्चीकृत किये जाने हेतु पाइप लाइन, बिजली का पोल शिफ्टिंग का कार्य eDPR No. 4890	Utility shifting	7.18	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत थराली - देवाल - मुन्दोली - वाण एम0एच0 90 कि कि0मी0 17 में 12 मी0 स्पान के स्थान पर 18.00 मी0 स्पान पूर्व निर्मित क्लास बी लोडिंग के सेतुओं को क्लास ए में उच्चीकृत किये जाने का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)। eDPR No. 5881	18.00	3.91	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विकासखण्ड ज्योर्तिमठ के गोविंदघाट में अलकनन्दा नदी के ऊपर 105 मी0 के स्पान के डेढ़ लेन मोटर सेतु (फुटपाथ सहित) का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण (RFQ एवं TOR के अनुसार) eDPR No. 5150	105.00	15.03	0.10
	कुल योग-		**58.80**	**0.90**

(रू. नब्बे हजार मात्र)

2- उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

i. उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3, 6 एवं 07 पर अंकित कार्य के सम्बंध में सम्बन्धित विभागों को धनावंटन से पूर्व सेतु के प्लान में यूटिलिटी की वर्तमान लोकेशन एवं शिफ्ट किये जाने वाली लोकेशन अंकित कर इसका अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा करा लिया जाय।

ii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 149101/ xxvii(7)E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा अर्थात दोहराव की स्थिति नहीं हों, यह सुनिश्चित कर लिया जाय।

iii. कार्य स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाय।

iv. शासनादेश सं0 383/III(1)/19-190 (PWD) 01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये एवं शासनादेश सं0 1403/III/(2)/21-08 (सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

v. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्याः-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून,2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

vi. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. विषयगत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

viii. कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

ix. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

x. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xi. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xiii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, युटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

xiv. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xv. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xvi. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य

Scanned with OKEN Scanner

की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xvii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/427157/2026 दिनांक 27 अगस्त, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 31-08-2026
16:23:38

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग2 -, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
9. सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/427520/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26090220009
आवंटन पत्र दिनांक-02-SEP-2026

लेखा शीर्षक
5054-सडक तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
337-सडक निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	3660000	90000	0	3750000
योग	3660000	90000	0	3750000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner